समक्ष उत्तराखंड उच्च न्यायालय, नैनीताल

<u>रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1365/2021</u>

मोहिनी कोहली और अन्य ...याचिकाकर्ता

बनाम

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और अन्य ....प्रतिवादीगण

<u>सहित</u>

<u>रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1367/2021</u>

मोहिनी कोहली और अन्य ...याचिकाकर्तागण

बनाम

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और अन्य ....प्रतिवादीगण

<u>सहित</u>

<u>रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1367/2021</u>

मोहिनी कोहली और अन्य ...याचिकाकर्तागण

बनाम

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और अन्य ....प्रतिवादीगण

<u>सहित</u>

<u>रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1368/2021</u>

मोहिनी कोहली और अन्य ...याचिकाकर्तागण

बनाम

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और अन्य ....प्रतिवादीगण

Note : Translated by Neha Kushawaha, Senior Civil Judge, Uttarkashi.

<u>सहित</u>

<u>रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1376/2021</u>

मोहिनी कोहली और अन्य ...याचिकाकर्तागण

बनाम

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और अन्य ....प्रतिवादीगण

<u>सहित</u>

<u>रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1377/2021</u>

मोहिनी कोहली और अन्य ...याचिकाकर्तागण

बनाम

राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और अन्य ....प्रतिवादीगण

उपस्थितः–

श्री संदीप कोठारी, याचिकाकर्ताओं के वकील

दिनांकः 28 जुलाई, 2021

<u>निर्णय</u>

<u>माननीय शरद कुमार शर्मा, न्यायाधीश</u>

(वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से)

यह पांच रिट याचिकाओं का एक समूह है, जिसमें याचिकाकर्ता ने 09 जुलाई, 2021 को अपीलीय प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 09.07.2021 (समान तारीख के) को चुनौती दी है, जिसके आधार पर, याचिकाकर्ता का उपभोक्ता

संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के दूसरे प्रावधान के तहत अनिवार्य जमा के 50 प्रतिशत की पूर्व जमा शर्त का पालन करने की छूट के लिए दावे को खारिज कर दिया गया है।

2. प्रत्येक रिट याचिका में जिन तथ्यात्मक पहलुओं पर विचार किया जा रहा है, उन पर स्वतंत्र रूप से विचार किया जा रहा है:–

I- रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1365/2021, मोहिनी कोहली और अन्य बनाम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और अन्य, प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने शिकायत संख्या 297/2020 अंजू कुमार बनाम श्रीमती मोहिनी कोहली और एक अन्य दायर की थी, जिसमें उसने कुछ मुआवजा प्रदान करने की मांग की है, जैसा कि शिकायत में ही संदर्भित किया गया है।

उक्त शिकायत का निर्णय जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा 27 मार्च, 2021 को दिए गए निर्णय के आधार पर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, उक्त शिकायत मामले में शिकायतकर्ता को भुगतान किये जाने के लिए याचिकाकर्ता पर एक निश्चित वित्तीय देनदारी तय की गई है। प्रासंगिक भाग यहां नीचे दिया गया है:–

" परिवाद स्वीकार किया जाता है। विपक्षी को आदेशित किया जाता है कि यह आदेश की तिथि से एक माह के भीतर परिवादी को. उससे ज्यादा वसूली गयी धनराशि अंकन 10/– रू० का भुगतान मय 06 प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से बाद योजित करने की तिथि 05–11–2021 से अंतिम अदायगी तक तथा हजनि के रूप में अंकन 25,00,000/– रू० की धनराशि परिवादी को अदा करना सुनिश्चित करें।"

जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के दिनांक 27.03.2021 के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के तहत निहित प्रावधानों के तहत राज्य आयोग के समक्ष आवेदन किया है।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील को प्रथम अपील संख्या 77/2021, श्रीमती मोहिनी कोहली और अन्य बनाम अंजू कुमार के रूप में क्रमांकित किया गया था।

II- रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1367/2021, मोहिनी कोहली और अन्य बनाम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और अन्य, प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने शिकायत संख्या 296/2020, मदन पाल बनाम

श्रीमती मोहिनी कोहली दायर की थी, जिसमें उसने कुछ मुआवजा देने की मांग की है, जैसा कि शिकायत में ही संदर्भित किया गया है।

उक्त शिकायत का निर्णय जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा 27 मार्च, 2021 को दिए गए निर्णय के आधार पर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, उक्त शिकायत मामले में शिकायतकर्ता को भुगतान किये जाने के लिए याचिकाकर्ता पर एक निश्चित वित्तीय देनदारी तय की गई है, जो उपरोक्त दी गई देनदारी के समान है।

जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के तहत निहित प्रावधानों के तहत राज्य आयोग के समक्ष आवेदन किया है।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील को प्रथम अपील संख्या 76/2021, श्रीमती मोहिनी कोहली और अन्य बनाम मदन पाल सिंह के रूप में क्रमांकित किया गया था।

III- रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1368/2021, मोहिनी कोहली और अन्य बनाम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और अन्य, प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने शिकायत संख्या 298/2020, अनिल कुमार

बनाम श्रीमती मोहिनी कोहली दायर की थी, जिसमें उसने कुछ मुआवजा देने के लिए मांग की है, जैसा कि शिकायत में ही संदर्भित किया गया है।

उक्त शिकायत का निर्णय जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा 27 मार्च, 2021 को दिए गए निर्णय के आधार पर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, उक्त शिकायत मामले में शिकायतकर्ता को भुगतान किये जाने के लिए याचिकाकर्ता पर एक निश्चित वित्तीय देनदारी तय की गई है, जो उपरोक्त दी गई देनदारी के समान है।

जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के तहत निहित प्रावधानों के तहत राज्य आयोग के समक्ष आवेदन किया है।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील को प्रथम अपील संख्या 78/2021, श्रीमती मोहिनी कोहली और अन्य बनाम अनिल कुमार के रूप में क्रमांकित किया गया था।

IV- रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1376/2021, मोहिनी कोहली और अन्य बनाम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और अन्य, प्रतिवादी/शिकायतकर्ता ने शिकायत संख्या 314/2020, रूपेश कुमार

बनाम श्रीमती मोहिनी कोहली दायर की थी, जिसमें उसने कुछ मुआवजा देने के लिए मांग की है, जैसा कि शिकायत में ही संदर्भित किया गया है।

उक्त शिकायत का निर्णय जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा 27 मार्च, 2021 को दिए गए निर्णय के आधार पर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, उक्त शिकायत मामले में शिकायतकर्ता को भुगतान किये जाने के लिए याचिकाकर्ता पर एक निश्चित वित्तीय देनदारी तय की गई है, जो उपरोक्त दी गई देनदारी के समान है। प्रासंगिक भाग/निर्देश, जो प्रकृति में समान हैं, पहले ही ऊपर दिये जा चुके हैं।

जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के तहत निहित प्रावधानों के तहत राज्य आयोग के समक्ष आवेदन किया है।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील को प्रथम अपील संख्या 79/2021, श्रीमती मोहिनी कोहली और अन्य बनाम रूपेश कुमार के रूप में क्रमांकित किया गया था।

V- रिट याचिका (एम/एस) संख्या 1377/2021, मोहिनी कोहली और अन्य बनाम राज्य उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग और अन्य,

प्रतिवादी / शिकायतकर्ता ने शिकायत संख्या 330 / 2020, हेमंत कुमार बनाम श्रीमती मोहिनी कोहली दायर की थी, जिसमें उसने कुछ मुआवजा देने के लिए मांग की है, जैसा कि शिकायत में ही संदर्भित किया गया है।

उक्त शिकायत का निर्णय जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच द्वारा 27 मार्च, 2021 को दिए गए निर्णय के आधार पर किया गया था। इसके परिणामस्वरूप, उक्त शिकायत मामले में शिकायतकर्ता को भुगतान किये जाने के लिए याचिकाकर्ता पर एक निश्चित वित्तीय देनदारी तय की गई है, जो उपरोक्त दी गई देनदारी के समान है। जिला उपभोक्ता संरक्षण मंच द्वारा दिया गया प्रासंगिक निर्देश, जो प्रकृति में समान हैं, ऊपर दिया जा चुका है।

जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण मंच के उक्त निर्णय से व्यथित होकर, याचिकाकर्ता ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 की धारा 41 के तहत निहित प्रावधानों के तहत राज्य आयोग के समक्ष आवेदन किया है।

इस प्रकार, याचिकाकर्ता द्वारा की गई अपील को प्रथम अपील संख्या 80 / 2021, श्रीमती मोहिनी कोहली और अन्य बनाम हेमंत कुमार के रूप में क्रमांकित किया गया था।

3. आलोच्य आदेश के आधार पर, जिसे चुनौती दी गई है, धारा 41 के दूसरे प्रावधान के तहत निहित प्रावधानों का अनुपालन करने के लिए छूट के माध्यम से माफी/छूट देने के लिए याचिकाकर्ता का तर्क, जो प्रदान करता है कि राज्य आयोग के समक्ष अपील पर विचार किये जाने के लिए, जमा राशि की 50 प्रतिशत की छूट को अस्वीकार कर दिया गया है।

4. विवाद को बेहतर ढंग से स्पष्ट करने के लिए, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 41 के अपीलीय प्रावधान यहां दिए गए हैंः–

''41– जिला आयोग के आदेश के विरुद्ध अपील– जिला आयोग द्वारा किए गए किसी आदेश से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे आदेश की तारीख से 45 दिन की अवधि के भीतर ऐसे प्ररूप और रीति में जो विहित किया जाए, तथ्यों या विधि के आधारों पर राज्य आयोग को ऐसे आदेश के विरुद्ध अपील कर सकेगा।

परंतु राज्य आयोग पैंतालीस दिन की उक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् अपील ग्रहण कर सकेगा यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि उक्त अवधि के भीतर अपील फाइल न करने के लिए पर्याप्त हेतुक था।

परंतु यह और कि किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा, जिससे जिला आयोग के आदेश के निबंधानुसार किसी रकम का संदाय करने की अपेक्षा की जाती है, कोई अपील राज्य आयोग द्वारा तब तक ग्रहण नहीं की जाएगी जब तक कि अपीलार्थी ने ऐसी रीति में जो विहित की जाए उस रकम का पचास प्रतिशत जमा नहीं कर दिया होः

परंतु यह भी कि धारा 80 के अधीन मध्यस्थता द्वारा समझौता के अनुसरण में जिला आयोग द्वारा धारा 81 की उपधारा (1) के अधीन किसी आदेश से कोई अपील नहीं की जाएगी।

5. वास्तव में, यदि दूसरे प्रावधान की भाषा पर ध्यान दिया जाए, तो इसमें इस शब्द का उपयोग किया गया है कि राज्य आयोग जिला आयोग के निर्णय के खिलाफ अपील पर ''विचार नहीं करेगा''। दूसरे प्रावधान के तहत न्यायलय द्वारा ''विचारण'' का उपयोग राज्य आयोग के लिए जिला आयोग के फैसले के खिलाफ अपील की संस्था के संबंध में कार्य करने पर भी रोक लगाता है, जब तक कि जिला आयोग के निर्देशानुसार पूर्व जमा की 50 प्रतिशत जमा न हो।

6. वर्तमान मामले में, याचिकाकर्ता ने जिला उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम द्वारा पारित आदेश के खिलाफ अपीलीय फोरम यानी राज्य आयोग के समक्ष संबंधित अपील के साथ छूट का आवेदन दायर किया था, जिसमें प्रार्थना की गई थी कि उन्हें अधिनियम की धारा 41 के दूसरे प्रावधान की शर्तों का पालन करने से छूट दी जा सकती है, जिसे राज्य आयोग ने 9 जुलाई, 2021 के अपने आलोच्य निर्णय (प्रत्येक अपील में क्रमशः पारित) के माध्यम से खारिज कर दिया है।

7. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील का तर्क यह है कि अधिनियम की धारा 51 के तहत राज्य आयोग द्वारा लिया गया निर्णय कि राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अपील योग्य नहीं होगा; इस कारण से कि उनकी व्याख्या के अनुसार, यह गुण–दोष के आधार पर अपील का निर्णय नहीं है; बल्कि यह एक बाधा थी जो धारा 41 के दूसरे प्रावधान की व्याख्या के तहत राज्य आयोग के समक्ष याचिकाकर्ता की अपील के विचारण में आदेश द्वारा उत्पन्न की जा रही थी।

8. उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि, हालांकि रिट याचिका की दलीलों के दायरे से बाहर, अगर धारा 41 के दूसरे प्रावधान के निहितार्थों पर विचार किया

जाता है, तो यह उचित कानूनी उपाय का सहारा लेने के उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन है, क्योंकि यह जिला आयोग द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध है; लेकिन चूंकि यह कोई मुद्दा नहीं है, जिसे वर्तमान रिट याचिका में उठाया गया है या भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 के तहत मेरी शक्ति के प्रयोग में निर्धारित किया जा सकता है, मैं बाद में उठाए गए तर्कों के उस पहलू पर ध्यान नहीं दे रहा हूँ। जो कि उक्त प्रभाव के लिए किसी भी दलील के बिना, बाद का विचार है,

9. याचिकाकर्ता के विद्वान वकील द्वारा इस तर्क का उत्तर देने के लिए कि क्या याचिकाकर्ता भारत के संविधान के अनुच्छेद 227 को लागू कर सकता है या धारा 41 के तहत एक उपाय का लाभ उठा सकता है, जैसा कि इसके तहत राष्ट्रीय आयोग के समक्ष अधिनियम के तहत अपील प्रदान किया गया है, मेरा विचार है कि आदेश की प्रकृति, जो पारित किया गया है, जिसके तहत याचिकाकर्ता के पक्ष में धारा 41 के दूसरें प्रावधान के तहत विचार की गई अनिवार्य जमा राशि के 50 प्रतिशत जमा करने में छूट देने से इनकार कर दिया गया है, राज्य आयोग का उक्त निर्णय, प्रयुक्त शब्दों "आदेश" के दायरे में आएगा, जैसा कि धारा 51 के तहत प्रदान किया गया

है। जिसका मतलब, एक बार फिर, यदि धारा 51 पर विचार किया जाता है, तो राज्य आयोग के आदेश से भी व्यथित व्यक्ति, भले ही यह केवल अंतिम निर्णय न हो, जहां अधिनियम की धारा 51 के तहत राष्ट्रीय आयोग से संपर्क करने के लिए दायरा खुला छोड़ा जा रहा है, बल्कि यह एक आदेश है और ''आदेश'' शब्द के उपयोग का अर्थ इतना व्यापक है कि इसके दायरे में 9 जुलाई 2021 के आलोच्य आदेश द्वारा किए गए जिसमें अपील के विचारण के प्रयोजनों के लिए एक शर्त के रूप में याचिकाकर्ता को धारा 41 के दूसरे प्रावधान के तहत राशि का 50 प्रतिशत जमा करने की छूट देने के लिए इनकार के आशय शामिल हैं।

10. उपरोक्त तर्क के मद्देनजर, यह न्यायालय रिट याचिकाओं पर विचार करने के लिए इच्छुक नहीं है, क्योंकि राज्य आयोग के आलोच्य आदेश के विरूद्ध याचिकाकर्ता के पास उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 51 के तहत लागू आदेश के खिलाफ उचित वैधानिक उपाय उपलब्ध है।

11. तदनुसार, याचिकाकर्ता को उचित वैधानिक उपाय प्राप्त करने की स्वतंत्रता के साथ रिट याचिकाएं खारिज की जाती हैं।

(शरद कुमार शर्मा, न्यायाधीश)

Note : Translated by Neha Kushawaha, Senior Civil Judge, Uttarkashi.

28.07.2021

Note : Translated by Neha Kushawaha, Senior Civil Judge, Uttarkashi.